न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 263/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भगाराम पुत्र गोरधनराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम माणकलाव तहसील एवं जिला जोधपुर		1– गेपरराम पुत्र जोराराम 2– दुडाराम पुत्र जोराराम 3– पीराराम पुत्र जोराराम 4– मूमल पत्नी मंगलाराम 5– कानाराम पुत्र मंगलाराम 6– कंवराराम पुत्र मंगलाराम सभी जातियान मेगवाल निवासीगण मेगवालो का बास, ग्राम माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर 7– चन्द्रा पुत्री मंगलाराम पत्नी कोजाराम जाति मेगवाल निवासी मेगवालो का बास, जाजीवाल धांधला तहसील जोधपुर 8– मीमा पुत्री मंगलाराम पत्नी गोबरराम जाति मेगवाल निवासी मेगवालो का बास, मथानिया तहसील तिवंरी जिला जोधपुर 9– बाबूडी पुत्री मंगलाराम पत्नी मगनाराम जाति मेगवाल निवासी मेगवालो का बास, थबूकडा तहसील जोधपुर 10–फेफी पुत्री रामाराम पत्नी मालाराम जाति मेगवाल निवासी मेगवालो का बास, जाजीवाल खिंचियान तहसील जोधपुर 11– रूकी पुत्री रामाराम पत्नी छताराम जाति मेगवाल निवासी मेगवालो का बास, दईकडा तहसील जोधपुर 12– गंवरी पुत्री रामाराम पत्नी बस्तीराम जाति मेगवाल निवासी गंवारियो की बस्ती, मथानियां तहसील तिवरी जिला जोधपुर 13– तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–12–2016 जो न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 40/2016 अनवान भगाराम बनाम जो कोई हो, मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोपसिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री कानाराम गोदारा अधिवक्त रेस्पो0 संख्या 1 से 12 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 13 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–2–2018

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने दिनांक 13–7–2016 को तहसीलदार जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम माणकलाव

तहसील जोधपुर की सरहद मे सह खातेदारी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 441 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय एवं खसरा नंबर 442 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि स्व0 मिरगा बेवा श्री किशनाराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम माणकलाव के खातेदारी की थी तथा स्व0 मिरगा ने दिनांक 2–6–2016 को दो गवाहान के समक्ष एक वसीयत निष्पादित की तथा मिरगा का देहांत दिनांक 12–6–2016 को हो गया । स्व0 खातेदार मिरगा के कोई जायंदा पुत्र या पुत्री नही थी और न ही स्व0 मिरगा ने अपने जीवनकाल मे किसी को गोद लिया । इस प्रकार स्व0 मिरगा के कोई प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने के कारण स्व0 मिरगा ने अपीलांट के हक मे उक्त वसीयत का निष्पादन किया इसलिए स्व0 मिरगा के खातेदारी की भूमि का फोतेदगी का नामांतरकरण अपीलांट के पक्ष मे स्वीकृत करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारो को नोटिस जारी कर बाद जांच व सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–12–2016 के द्वारा अपीलाधीन भूमि का नामांतरकरण वसीयत की बजाय मृतक मिरगा पत्नी स्व0 किशनाराम मेगवाल निवासी माणकलाव के द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का माणकलाव को आदेशित कर दिया, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 1796 दिनांक 16–12–2016 को स्वीकृत कर दिया गया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस पेश की जिसकी प्रति रेस्पो0 अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली की गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि काई भी नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कानूनी प्रकिया अपनाया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की तथा पटवारी हल्का ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वसीयतनामें की वैद्यता बाबत गलत तरीकें से रिपोर्ट पेश कर दी जो किसी भी आधार पर मानने योग्य नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने भी मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए उसके आधार पर बिना जांच किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा केवल वारिसान की रिपोर्ट दी जाती है न कि दस्तावेजो क वैद्यता बाबत परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना तथा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित असल वसीयतनामे के दस्तावेज को तलब कर उसको देखे बिना, जांच किये बिना तथा वसीयत नामे मे उल्लेखित गवाहान प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिये बिना ही वसीयत के दस्तावेज को संदिग्ध करार देने बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के पुत्र हीराराम ने वसयीतनामा फर्जी होने बाबत पुलिस थाना करवड मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमे बाद अनुसंधान एफ0आर0 प्रस्तुत कर दी इससे स्पष्ट है कि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामे का दस्तावेज वैद्य है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होने के बावजुद अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामे को बिना किसी आधार के

संदिग्ध मानने मे विधिक त्रुटि की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना गलत है कि वसीयतनामा रजिस्टर्ड नही है तथा न ही नोटरी से तस्दीकसुदा है जबकि वसीयतनामा सादे कागज पर भी लिखा हो सकता है जिसके लिए रजिस्टर्ड तथा नोटेरी से तस्दीक होना आवश्यक नही है तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी लिखित बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को यदि मृतक के अंगुठा निशान बाबत किसी प्रकार की संदिग्धता थी तो जांच करवाई जानी चाहिये थी परंतु जानबूझकर इस बाबत कोई जांच नही करवाई तथा यह भी कथन किया कि वसीयत नामे की वैद्यता की जांच करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नही था बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय ही वसीयत जैसे दस्तावेज की वैद्यता के बारे मे किसी प्रकार की फाईंडिंग दे सकता है इसलिए यदि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के दस्तावेज को रेस्पो० को यदि कोई आपत्ति थी तो इसके लिए रेस्पो० को सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनौती देकर वसीयत को Null & Void घोषित करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी, जो आज दिन तक नही की जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 1997 पेज 301, ए.आई.आर. 1989 पेज 17, आर.आर.टी. 2002 (2) पेज 786 तथा वसीयत उतराधिकार मे भारतीय उतराधिकार नियम की धारा 63 के क्लॉज 14, 15, 36 के आदि के अलावा इस न्यायालय एवं अद्यो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनवान श्रवणसिह बनाम दिनेश मे पारित निर्णय दिनांक 24–9–2015 एवं अनवान बदनकंवर बनाम अनोपसिह वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 10–1–2018 की छायाप्रतियां प्रस्तुत कर उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–12–2016 को अपास्त करने तथा नामांतरकरण संख्या 1796 दिनांक 16–12–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो०गण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किये गये निर्ण्रय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की सहखातेदार मिरगा बेवा किशनाराम मेगवाल के कोई संतान नही थी तथा वह लाऔलाद फोत होने पर अपीलांट जो कि मृतका के बहन का लडका है, उसने तहसीलदार जोधपुर के समक्ष अपने पक्ष मे वसीयत के आधार पर मृतका के खातेदारी की भूमि का म्युटेशन स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का से वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब कर, संबंधित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनकर, वसीयत तथा उसके गवाहान के बयानात आदि लेकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो० ने कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे लिखी गई वसीयत स्आम्प पेपर पर नही लिखी हुई होकर एक सादे कागज पर लिखी हुई है जिस पर मृतका के ससुराल के किसी सदस्य के हस्ताक्षर नही है तथा वसीयत के गवाह तथा लेखक के कथनो एवं शपथपत्रो अनुसार वसीयत सिद्ध नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के स्थान पर मृतका

की वंशावली अनुसार वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो एवं वसीयत के संबंध मे भारतीय उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान आदि का भी अध्ययन किया । अपीलाधीन भूमि की सहखातेदार मिरगा जो कि लाऔलाद फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे अपीलांट ने उसके पक्ष मे मृतका द्वारा एक सादे कागज पर लिखी हुई वसीयत होना तथा उसके आधार पर म्युटेशन दर्ज करने का निवेदन किया, दूसरी ओर मृतका के कोई प्रथम श्रेणी के वारिसान नही होने से द्वितीय श्रेणी के वारिसान की सूची जो कि पटवारी हल्का ने पेश की, उनको भी जरिये नोटिस तलब किया जाकर सभी के बयानात एवं शपथपत्र रेकर्ड पर लिये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपना विस्तृत निर्णय पारित किया है, जिसमे अपीलाधीन भूमि का म्युटेशन वसीयत के आधार पर स्वीकृत नही करके मृतका के द्वितीय श्रेणी के वारिसान के पक्ष मे स्वीकृत करने का जो आदेश पारित किया है, वह समर्थन योग्य होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

अपीलांट यदि अपने पक्ष मे लिखी गई वसीयत के आधार पर अपीलाधीन भूमि मे कोई हक अधिकार रखता है तो अपने अधिकारो की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है । परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–12–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–2–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर